दिनांक 19.05.2017 को आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19.05.2017 को मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त सभागार–गोण्डा के सभागार में पूर्वान्ह 10.30 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी–बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती व अन्य सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है:–

समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से गत बैठक की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी विभाग के अधिकारियो की एक बैठक आहूत कर लें जिसमें मा0 जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाय तथा क्षेत्र के विकास हेतु मा0 जनप्रतिनिधियों के सुझाव को संज्ञान में लिया जाय। सभी अधिकारी अपने विभाग का एक विजन प्लान बना लें यथा–शिक्षा विभाग, औद्योगिक विकास, पंचायत राज,ग्रामीण पेयजल, पर्यटन, कौशल विकास, नगर पालिका/नगर पंचायत व ट्रैफिक आदि पॉच वर्षों में क्षेत्र के विकास हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर लें, जिसमें वित्तीय एवं भौतिक कार्यों का आंकलन कर लिया जाय। पुनः जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर मा0 सांसद/विधायकगण से विचार विमर्श करके योजना को अन्तिम रूप देकर सक्षम स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। यदि कहीं भूमि की आवश्यकता हो तो सरकारी भूमि की उपलब्धता का आंकलन पूर्व में ही कर दिया जाय। समय समय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियमित रूप से अनुश्रवण कराते हुये कार्य को समय से पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी)

विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समय से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। फील्ड स्तर पर तैनात कर्मचारियों के सापेक्ष राजस्व एवं विकास विभाग द्वारा इस तरह का समन्वय स्थापित किया जाय कि प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक दिन एक कर्मचारी उपस्थित रहे तथा उपस्थिति का स्थान चिह्नित करते हुए रोस्टर तैयार किया जाय, जिसका सम्बन्धित ग्राम में नियमानुसार प्रचार–प्रसार कराया जाय। भूमि विवाद के प्रकरणों को समय से निस्तारित कराया जाय तथा क्षेत्रीय लेखपालों से प्रत्येक 15 दिवस पर इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाय कि शासकीय भूमि पर कोई विवाद/अवैध कब्जा नहीं है। सरकारी भूमि पर विवाद/अवैध कब्जा पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को दी जाय तथा तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। शासन की मंशा के अनुरूप वर्ष में 100 घण्टें श्रमदान किया जाना है, इसके लिये उचित होगा कि प्रत्येक शनिवार

Scanned by CamScanner

कि प्रत्येक शनिवार को सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक सफाई हेतु श्रमदान किया जाय। सरकारी कार्यालयों में साफ–सफाई सुनिश्चित की जाय तथा रेण्डम चेकिंग भी कराया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करायी जाय तथा ग्राम पंचायतों में उपलब्ध अनटाइड फण्ड का सदुपयोग कराया जाय। नगरीय क्षेत्रों में वन विभाग से समन्वय स्थापित कर दुकान/मकान के सामने भू–स्वामी की सहमति से आवश्यकतानुसार पेंड़ लगाया जाय। माह–जुलाई, 2017 में ग्रीन सिटी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय। शासी निकाय की बैठक पन्द्रह दिवस के भीतर आयोजित कराया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया कि शासकीय भवनों का नियमानुसार मरम्मत कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी)

स्वास्थ्य विभाग की प्रगति संतोषजनक न होने के कारण निर्देशित किया गया कि कार्यों की समीक्षा कर प्रगति में सुधार लायें। सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि सफाईकर्मियों का रोस्टर बनाकर ग्राम में सफाई कराया जाय तथा एक पंजिका रखी जाय, जिसमें सफाईकर्मी द्वारा सफाई के स्थान का तिथि सहित अंकन किया जायेगा, जिसकी पुष्टि गणमान्य लोगों से करायी जायेगी। जिलाधिकारी–गोण्डा द्वारा बताया गया कि जनपद–गोण्डा में सफाईकर्मियों को फोटोयुक्त पहचान–पत्र निर्गत किया जाय। उपनिदेशक, पंचायत इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी–गोण्डा द्वारा बताया गया कि सफाईकर्मियों का सम्बद्धीकरण सीधे निदेशक, पंचायती राज द्वारा अन्य जनपदों अथवा ग्रामों में किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर सम्बद्धीकरण हेतु पत्र भेजा जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी)

जन शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि शिकायतों का पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण कराया जाय। दिनांक 21 जून,2017 को लखनऊ मुख्यालय पर आयोजित योग दिवस में मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रतिभाग किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद से कम से कम 50–60 लोगों को प्रतिभाग करने हेतु भेजा जाय। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाओं के अद्यतन प्रगति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण (भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित) अपने पास सुरक्षित रखें। सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक को निर्देशित किया गया कि जर्जर स्कूल भवनों को निष्प्रयोज्य कराये जाने तथा स्कूलों के खराब हैण्डपम्पों के मरम्मत हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उपनिदेशक, पंचायत को निर्देशित किया गया कि ग्राम

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायतों में मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु नियमानुसार 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुपूरक कार्ययोजना बनाकर अपलोड कराया जाय। सभी जिलाधिकारी से अपेक्षा की गयी कि अपने जनपद से सम्बन्धित आधारभूत आँकड़े उपलब्ध करायें। जन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराया जाय, इस आशय की सूचना प्रेषित की जाय कि वर्ष 2017–18 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं व निर्धारित समय सीमा के अन्दर कितनी शिकायतों का निस्तारण कराया गया तथा कितनी शिकायतें लम्बित हैं और शिकायतों के लम्बित होने का कारण भी दर्शाया जाय। तहसील दिवसों में निस्तारित शिकायतों में से कम से कम 2–3 शिकायतों की रेण्डम चेकिंग करायी जाय, जिससे वस्तुस्थिति की जानकारी हो सके। सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये कि दैवीआपदा से होने वाली आकस्मिक मृत्यु पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा यथा सम्भव उसके आश्रितों को 24 घण्टे के अन्दर लाभान्वित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी0डी0यू0) के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया गया कि इस योजना में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है अद्यतन क्या प्रगति है प्रारम्भिक सूचना दी जाय। जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–श्रावस्ती में ग्राम ज्योति योजना जितने ग्रामों में विद्युतीकरण कराया गया है उनके सापेक्ष लगभग 90 प्रतिशत ग्रामों में ऊर्जीकृत दर्शाया गया है जबकि थर्ड पार्टी द्वारा निरीक्षण नही कराया गया है। अधीक्षण अभियन्ता,विद्युत इसकी समीक्षा करें अवगत करायें, यह भी देंखें कि कोई ग्राम विद्युतीकरण से छूटने न पावें। जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के अर्न्तगत जिस कम्पनी को कार्य सौपा गया है वह अभी तक जनपद–श्रावस्ती में नही आयी है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत द्वारा बताया गया कि विद्युत कार्यों के सम्पादन में भूमि की कोई समस्या नही है। अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जो सर्वे कराया जा रहा है, उसमें राजस्व विभाग के लेखपालों का भी सहयोग लिया जाय तथा समस्या होने पर वस्तुस्थिति से सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवगत कराया जाय। जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि बिजली का बिल समुचित ढ़ंग से वितरित नही किया जा रहा है, जिससे विद्युत बकाये का भुगतान नही हो पा रहा है। लगभग 40 हजार विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष अभी तक मात्र 5 हजार बिल का वितरण किया गया है। एकीकृत बिजली विकास योजना के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत द्वारा बताया गया कि 5 हजार से अधिक आबादी वाले टाउन को इस योजना में लिया गया है, इस मण्डल में 12 टाउन

Scanned by CamScanner

चयनित हैं,परियोजना स्वीकृति हेतु मुख्यालय भेजी गई है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत को निर्देश दिये गया कि इमरजेन्सी कटौती की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को अवश्य दी जाय तथा विद्युत आपूर्ति 18, 20 व 24 घन्टे सुनिश्चित कराये जाने हेतु खराब ट्रान्सफार्मरो का प्रतिस्थापन 48 घन्टें के भीतर कराया जाय। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत द्वारा बताया गया कि मोबाइल ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था समुचित ढ़ंग से चल रही है। जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि जनपद–श्रावस्ती में मोबाइल ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था ठीक नही है,इसे ठीक कराया जाय। जिलाधिकारी–गोण्डा द्वारा सुझाव दिया गया कि विद्युतीकरण से सम्बन्धित उपर्युक्त कमियों के सम्बन्ध में अपने अधिशासी अभियन्ता,विद्युत को निर्देशित कर दें कि प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियमित रूप से समीक्षा बैठक कराते रहें। विद्युत लाइनों से जनित आग की घटनाओं में राहत वितरण के सम्बन्ध में बताया गया कि विद्युत दुर्घटनाओं का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जा रहा है तथा अग्निकांड आदि होने पर त्वरित गति से क्षतिपूर्ति करायी जाती है।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधीक्षण अभियंता,विद्युत)

सभी जिलाधिकारी से अपेक्षा की गई कि शासकीय कार्यालयों व भवनों की समुचित ढ़ंग से साफ–सफाई कराई जाय तथा गेंहू क्रय केन्द्रों पर शासन के मानक के अनुसार व्यवस्था सुदृढ रखी जाय। गन्ना किसानो कि अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में उपगन्ना आयुक्त को निर्देशित किया गया कि गन्ना आयुक्त को इस सम्बन्ध में पत्र भेजा जाय। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाय कि वर्तमान सरकार बनने के बाद कितनी धनराशि का भुगतान किया गया हैं। गड्ढा मुक्त सड़को के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता,लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया कि सभी कार्य प्रत्येक दशा में 15 जून 2017 तक पूर्ण करा लिये जाय। सहायक शिक्षा निर्देशक, बेसिक को निर्देशित किया गया कि अध्यापकों के उपस्थिति व रिक्तियों के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय तथा स्कूल भवनो में जहॉ–जहॉ स्थान खाली है, वहॉ पर वृक्षारोपण कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी)

अधीक्षण अभियन्ता,जलनिगम द्वारा बताया गया कि नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन बन्द कर दिया गया है, अब नये हैण्डपम्प हेतु कोई धनराशि शासन से अवमुक्त नही की जा रही है। अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया कि सड़क के किनारे तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगे हैण्डपम्पों में जो खराब हो गये है, उन्हे प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाय, कई स्थानों पर चहरदीवारी बनाकर हैण्डपम्प को व्यक्तिगत उपयोग में संचालित किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की

Scanned by CamScanner

जाय तथा उसकी वसूली सम्बन्धित लाभार्थी से की जाय, अन्यथा उखाड़कर प्राथमिकता के आधार पर जिन स्कूलों में हैण्डपम्प नही है अथवा खराब है, वहां लगाया जाय। अधीक्षण अभियन्ता,जलनिगम को यह भी निर्देश दिये गये कि पाइप्ड पेयजल योजनान्तर्गत परियोजनाओं को हैण्डओंवर करने से पूर्व जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को सूची उपलब्ध करायी जाय तथा हैण्डओवर की गई परियोंजनाए चालू होनी चाहियें। जल संरक्षण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी–बलरामपुर द्वारा बताया गया कि तालाबों को नलकूप विभाग द्वारा भरा जा रहा है, जिन क्षेत्रों में नहर चल रही है, वहां नहरों से भी भरें जा रहें है। अधिशासी अभियन्ता,लघुसिचाई द्वारा बताया गया कि मण्डल में एक हेक्टेयर से अधिक एरिया के तालाब नही है और न ही प्रस्तावित है।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अर्न्तगत उपनिदेशक, पंचायत को निर्देशित किया गया कि शौचालयों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जाय तथा साथ ही साथ फोटो भी अपलोड कराया जाय। निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर ओ0डी0एफ0 कराया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन ग्राम पंचायतों द्वारा धनराशि व्यय नही की जा रही है, उनसे नियमानुसार धनराशि लेकर उन ग्राम पंचायतों को दे दिया जाय, जिनमें कार्य की विशेष आवश्यकता है। वाटर लागिंग के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां–जहां पर जलभराव की स्थिति है, उन स्थानों को चिन्हित करते जल निकासी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा आवश्यकतानुसार पम्पिगं सेट से भी जल निकासी कराया जाय। जलभराव हेतु चिन्हित स्थानों पर नाला/नाली निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना की समीक्षा के दौरान उप निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि यह योजना वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ हुई है, गतवर्ष उद्यान विभाग को धनराशि अवमुक्त हुई थी। इस वर्ष अभी धनराशि प्राप्त नही हुई है। संयुक्त निदेशक, कृषि को निर्देशित किया गया कि गतवर्ष कराये गये कार्यो का विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा कार्यों का नियमानुसार सत्यापन भी कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित मंडलीय अधिकारी)

बैकों के डेबिट तथा क्रेडिट के अनुपात को देखा जाय, जो 60प्रतिशत होना चाहियें। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैकों से समन्वय स्थापित कर समीक्षा करते हुये कामधेनु/मिनीकामधेनु/माइक्रोकामधेनु योजना की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये।

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अर्न्तगत जनपद–गोण्डा/बलरामपुर की प्रगति खराब पाये जाने के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण–गोण्डा द्वारा बताया गया कि लक्ष्य दो गुना कर दिये जाने के कारण अपेक्षित प्रगति नही हो पायी है, प्रयास कर प्रगति में सुधार किया जा रहा है। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण–बलरामपुर द्वारा बताया गया कि पहले प्रगति खराब थी किन्तु अब सुधार हुआ है तथा जनपद–बलरामपुर अब प्रदेश में 61वे स्थान पर है। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण–गोण्डा/बलरामपुर को निर्देशित किया गया कि विशेष प्रयास कर प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये तथा 15 दिवस में अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।

(कार्यवाही जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परि0निदे0,जि0ग्रा0वि0अभि0–गोण्डा/बलरामपुर)

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा सभी मुख्य विकास अधिकारियों व मण्डलीय अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि मण्डलीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।

22/05/17

आयुक्त
देवीपाटन मण्डल
गोण्डा।

कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल–गोण्डा।

पत्रांक 104 /बैठक कार्यवृत्त/2017 दिनांक 22-5-2017

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव,कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
2. जिलाधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
3. मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
4. सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी,देवीपाटन मण्डल।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0,गोण्डा।

संयुक्त आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल
गोण्डा।

Scanned by CamScanner